संख्या-14/2025/163/तीस-4-2025-30-4099(099)/63/2023

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांकः 29.07.2025

विषय: सरकारी विभागों की 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-19/2023/807/तीस-4-2023-30-4099(099)/63/ 2023, दिनांक 08.06.2023 के प्राविधानानुसार मेटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन (MSTC), भारत सरकार के माध्यम से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य सरकारी वाहनों की नीलामी की कार्यवाही अद्यतन प्रभावी है, जबकि ''सरकारी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित करने का मापदण्ड'' विषयक शासनादेश संख्या-1288(।।)/30-4-2002-24केएम/76, दिनांक 11.06.2002 तथा ''सरकारी विभागों की निष्प्रयोज्य गाड़ियों की नीलामी'' विषयक शासनादेश संख्या-1914/30-4-2002-38/90, दिनांक 05.08.2002 के अन्तर्गत वर्तमान में सरकारी विभागों की 15 वर्ष से कम आयु पूर्ण करने वाले वाहनों की नीलामी की कार्यवाही गतिमान है।

2- उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी' लागू की गयी है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण में कमी, सड़क, यात्रियों व यानों की सुरक्षा में सुधार, ईधन क्षमता में सुधार, वाहन स्वामियों हेतु अनुरक्षण लागत में कमी आदि लाने के लिए एक पारिस्थितिकी-तन्त्र उत्पन्न करना है। उक्त के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से 15 वर्ष पुरानी सरकारी वाहनों के पंजीयन का पुनर्नवीनीकरण प्रतिबन्धित करते हुए उन्हें स्क्रैप किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे वाहनों के निर्बाध स्क्रैपिंग हेतु सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-आरटी-23013/8/2022-टी, दिनांक 17.12.2022 के क्रम में शासनादेश संख्या-19/2023/807/तीस-4-2023-30-4099(099)/ 63/2023, दिनांक 08.06.2023 द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.12.2022 के संलग्नक-1 में विहित प्राविधानों के अनुसार एम0एस0टी0सी0 पोर्टल के माध्यम से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य सरकारी वाहनों की नीलामी की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-आरटी-23013/8/2022-टी, दिनांक 08.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा ऐसे सरकारी वाहनों के निर्बाध स्क्रैपिंग को सुविधाजनक बनाये जाने के क्रम में अवगत कराया गया है कि 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य सरकारी वाहनों की नीलामी के प्रयोजनार्थ इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन एम0एस0टी0सी0 द्वारा विकसित ई-ऑक्शन प्लेटफार्म्स एवं वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन जेम (GeM) द्वारा विकसित फार्वर्ड ऑक्शन पोर्टल का उपयोग ई-ऑक्शन की कार्यवाही हेतु की जा सकती है। तत्क्रम में उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.07.2024 के संलग्नक में पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.12.2022 द्वारा दी गयी व्यवस्था/प्राविधानों को अवक्रमित करते हुए एम0एस0टी0सी0 एवं जेम (GeM) पोर्टल्स पर ई-ऑक्शन के माध्यम से सरकारी विभागों की 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गयी है, जो निम्नवत् है :-

संलग्नक

Proposed mechanism for e-auction of Government-owned vehicles through MSTC and GeM Portal

Union/State Government to use portals developed by Metal Scrap Trading Corporation (MSTC) and Government e-Marketplace (GeM) i.e. the auction agencies, for e-auction of condemned vehicles to RVSF. In order to expedite the scrapping of condemned vehicles, Union/State Governments may directly engage with these auction agencies to conduct e-auction. The detailed procedure for e-auction of vehicles through the portals of the auction agencies is provided below:

1. Union Ministries/Departments and State Governments to share details of condemned vehicles (including vehicle type, model, vintage, image, etc.) with the auction agency.
2. Union Ministries/Departments and State Governments to conduct valuation of vehicles through valuers appointed by them or empaneled by the auction agency and finalize the reserve price and tolerance %.
3. Union Ministries/Departments and State Governments or the auction agency to enter reserve price and associated tolerance % into respective portal before the launch of e-auction.
4. Auction agency to support the Union Ministries/Departments and State Governments in forming the e-auction lots based on vehicle details, location of vehicles etc. and in developing an e-auction catalog. Auction notification containing details of e-auction starting date, list of vehicles, location, ownership etc. will be sent to RVSFs. Such scrapping is to be done in accordance with the procedure as prescribed in Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules 2021.
5. e-Auction is then launched on the auction portal.
6. Prospective bidders would be allowed to conduct on-site inspection of vehicles to assess fair value of the e-auction lot. High quality images may be included in auction catalog to reduce the requirement of physical inspection since the RVSFs may not have enough capacity to conduct physical inspection over a short period of time.
7. Interested bidders to deposit a pre-bid earnest money deposit (EMD) or Standing Security Deposit, as prescribed by the auction agency, to become eligible for bidding. After depositing EMD or Standing Security deposit, bidders to submit their bid on the auction portal.
8. e-Auction is to be closed at a pre-determined time. An e-auction is deemed successful if the highest bid value is more than the reserve price or within the tolerance threshold and is cancelled if the highest bid is lower than the tolerance of reserve price set by the seller. If an e-auction is cancelled, then the Competent Authority may put up the lot for re-auction after re-fixing the reserve price based on market response.
9. Auto-generated notification is sent to the highest bidder and the seller.
10. Highest bidder (RVSF) would then transfer the bid amount to the auction agency or the seller, as per the terms in the e-auction catalog. Auction agency to issue a digitally signed Delivery/Sale Order upon confirmation of payment.
11. Highest bidder (RVSF) to pick up the vehicles for scrapping and hand over a 'Certificate of Deposit' to the seller through the Vahan RVSF module as per the process specified in rule 10 sub-rule 1 of GSR 653 (E) dated 23rd September 2021 and its amendment vide GSR 695 (E) dated 13th September 2022.

http://shaktiscrap.gov.in

12. De-registration of vehicles to be done by RVSF as per the process specified in rule 10 sub-rule 1 of GSR 653 (E) dated 23rd September 2021 and its amendment vide GSR 695 (E) dated 13th September 2022.
13. If the bid amount was transferred by the RVSF to the auction agency, the auction agency shall further transfer the bid amount to Union Ministries/ Departments and State Governments along with the 'Certificate of Deposit'.

4- अत: उपरोक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-19/2023/807/तीस-4-2023-30-4099(099)/63/2023, दिनांक 08.06.2023 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.07.2024 में विहित उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार एम0एस0टी0सी0 एवं जेम (GeM) पोर्टल्स पर ई-ऑक्शन के माध्यम से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य सरकारी वाहनों की नीलामी की कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त 15 वर्ष से कम आयु पूर्ण करने वाले सरकारी वाहनों की नीलामी के सम्बन्ध में पूर्वोक्त ''सरकारी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित करने का मापदण्ड'' विषयक शासनादेश संख्या-1288(।।)/30-4-2002-24केएम/76, दिनांक 11.06.2002 तथा ''सरकारी विभागों की निष्प्रयोज्य गाड़ियों की नीलामी'' विषयक शासनादेश संख्या-1914/30-4-2002-38/90, दिनांक 05.08.2002 के प्राविधान यथावत् प्रभावी रहेंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-14/2025/163(1)/तीस-4-2025-30-4099(099)/63/2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सचिव, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य प्रबन्धक, मेटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन (MSTC), भू-तल, सीडब्ल्यूसी क्षेत्रीय कार्यालय परिसर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8. समस्त संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश(द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय)।
9. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम (द्वारा प्रबन्ध निदेशक कार्यालय)।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग/संबंधित विभाग।
11. विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
12. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/7
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

http://gyaan.nidesh.up.gov.in